...untant

...alongwith original documents of ...any) on the above date. Details of ...are available on our school website ...g.

...ress president Amrinder Singh Raja Warring on Sunday targeted Shiromani Akali Dal (SAD) chief Sukhbir Singh Badal, questioning his "desperation" for an electoral alliance with BJP after Badal's "U-turn" on the issue of ...

...had strongly opposed the delimitation bill in April, calling it detrimental to Punjab's interests, the party has now reversed its stance. "What changed within these three months that you started seeing merit in the same bill you ...

...had become "more loyal than the king".

The Punjab Congress chief alleged Badal's shift stems from political survival as he attempts to woo the BJP ahead of the 2027 assembly elections.

...Police said Sanjeev Kumar, a Karnal resident, was spotted near the recruitment ground after 8 pm on Aug 3 allegedly distributing visiting cards to candidates, particularly those temporarily rejected in medical tests, and ...

...ramshala police, along with Patiala police, detained two suspected operatives outside the venue on Aug 7.

Dharamshala police station inspector Narayan Singh said one suspect — 27- ...

...ce custody. "Further investigation into the matter is underway," the SHO said.

The developments have prompted authorities to intensify surveillance around Agniveer recruitment venues.

ूको बैंक
सम्मान आपके विश्वास का

UCO BANK
Honours your trust

E-AUCTION SALE NOTICE

UCO Bank Zonal Office, Chandigarh - SCO 55-56-57, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh - 160017, Phone: 0172-5037339, 5037340, E-mail: zochng.rec@uco.bank.in

SALE NOTICE OF E-AUCTION SALE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation & Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI) read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged / charged to the Secured Creditor, the symbolic / physical possession of which has been taken by the Authorised Officers of **UCO Bank** (Secured Creditor), will be sold on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS"** and **"WHATEVER THERE IS"** basis and invites bids from the intending purchasers for purchase of immovable properties mentioned hereunder.

Sr. No.	Name of the Branch & Borrower / Guarantor	Details of Immovable Properties	Possession Date / Status of possession (Physical or Symbolic)	Demand Notice Date & Amount	Reserve Price / EMD / Bid Increase Amount	Details of Officer Concerned	Date and Time of Auction
1.	**MOHALI, PHASE-I BRANCH** Borrower(s):- M/s G&G Enterprise, through its Prop. - **Mahesh Garg** S/o Prem Chand, **Address:-** House No. 960, Phase 7, Sector 61, Mohali. **Guarantor(s):- Prem Chand, Address:-** House No. 960, Phase 7, Sector 61, Mohali.	All the part and parcel of Plot measuring 200 Sq. Yds. in the name of Mr. Prem Chand S/o Sh. Manga Ram, being House No. 960, situated at Phase 7, Sector 61, Mohali. (a) Title Deed(s) No. 04.03.1980/4989 & Year 1980 (b) Name of the Owner of the Mortgage Property: Prem Chand (c) Boundary of the Property such as. **Butted & Bounded by:- On the East:** Park on Back Side of the Property; **On the West:** House No. 961 on the left side of the property; **On the North:** Road on Front Side; **On the South:** House No. 959 on Right Side.	04.07.2026 / Symbolic	**28.04.2026 / Rs. 50,67,111.55 * Less repayments made after NPA**	Rs. 3,45,28,000/- / Rs. 34,52,000/- / Rs. 40,000/-	**Ms. Prerna Agarwal Mittal, M.: 9634544356 E-mail: mohali@uco.bank.in**	**11.09.2026 11:00 A.M. to 05:00 P.M.**
2.	**SECTOR 44, CHANDIGARH BRANCH** Borrower(s):- M/s Popular Medicare, **Address:-** Building No. 602, 1st Floor, Kesho Ram Complex, Gali No. 6, Sector 45, Burail Chandigarh. **Guarantor(s):- (1) Mr. Rahul Sehgal, Address:-** House No. HM-558, Phase-7, Sector 62, SAS Nagar, Mohali, Punjab - 160062 **(2) Mrs. Nidhi Sehgal, Address:-** House No. HM-558, Phase-7, Sector 62, SAS Nagar, Mohali, Punjab - 160062 **(3) Mrs. Chand Kashyap, Address:-** W/o Ramesh Kashyap, Sethian Wali Gali, GT Road, Beas, Baba Bakala, Amritsar, Punjab - 143201.	All part and parcel of Immovable Residential Property bearing property H. No. 70, Adj. Street Central Bank of India Land measuring 5 Marla 3 Sarsai, Khasra No. 113 = 4 Kanal 7 Marla its 48/783 share situated at Village Budha Theh, Tehsil Beas, Baba Bakala, Distt. Amritsar, Punjab: (a) Title Deed(s) No. 1411 dated 30.07.2004 **(b)** Name of the owner of the mortgage property in the name of Chand Rani W/o Ramesh Kumar (c) Boundary of the property, such as: **Butted & Bounded by:- On the East:** Street 4'6" Wide and Residence of Ms. Simmi; **On the West:** Residence of Mr. Bablu; **On the North:** Railway Line; **On the South:** Residence of Ashu Genral Store Wale	06.06.2026 / Symbolic	**05.12.2025 / Rs. 63,82,626.16 * Less repayments made after NPA**	Rs. 35,00,000/- / Rs. 3,50,000/- / Rs. 20,000/-	**Ms. Neha Rani M.: 9147403154 E-mail: ambcha@uco.bank.in**	**11.09.2026 11:00 A.M. to 05:00 P.M.**

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 1961

Terms & Conditions:- (1) The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. **2.** The properties are being
sold on **"AS IS WHERE IS BASIS"** and **"AS IS WHAT IS BASIS"** and **"WHATEVER THERE IS BASIS"**. **3.** The particulars of Secured Assets specified in the Schedule
herein above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or
omission in this proclamation. **4.** The auction sale will be **"online through e-auction"** portal **https://baanknet.com**. **5.** The intending Bidders / Purchasers are requested
to register on portal **https://baanknet.com** using their mobile number and E-mail ID. Further, they are requested to upload requisite KYC documents. Once the KYC
documents are verified by e-auction service provider (may take 2 working days), the intending Bidders / Purchasers has to transfer the **EMD amount using online mode**
in his Global EMD Wallet ON before the E-Auction Date and time in the portal. The registration, verification of KYC documents and transfer of EMD in wallet
must be completed well in advance, before auction. **6.** Platform **https://baanknet.com**, for e-Auction will be provided by E-Auction service provider **Help Desk No.**
+91-8291220220, Help Desk E-Mail ID: support.baanknet@psballiance.com. The intending Bidders / Purchasers are required to participate in the E-Auction process
at E-Auction Service Provider's website **https://baanknet.com**. **7. For any property related query may contact the Authorised Officer - for Sr. No. 1 - Ms. Prerna,**
M: 9147403124; for Sr. No. 2 - Mr. Nitin Atri, M.: 9717477126. **8.** The Sale Notice containing the General Terms and Conditions of sale is available / published in the
websites / web page portal: **https://baanknet.com**. **9.** The intending participants of E-Auction may download free of cost, copies of the Sale Notice, Terms & Conditions of
E-Auction, Help Manual on operational part of E-Auction related to this E-Auction from portal **https://baanknet.com**. **10.** Bidder's Global Wallet should have sufficient
balance (>=EMD amount) at the time of bidding. **11.** During the E-Auction bidders will be allowed to offer higher bid in inter-se bidding over and above the last bid quoted
and the minimum increase in the bid amount must be as mention above to the last higher bid of the bidders. Ten (10) minutes time will be allowed to bidders to quote
successive higher bid and if no higher bid is offered by any bidder after the expiry of ten minutes to the last highest bid, the E-Auction shall be closed. **12.** It is the
responsibility of intending Bidder(s) to properly read the Sale Notice, Terms & conditions of E-Auction; Help Manual on operational part of E-Auction and follow them
strictly. In case of any difficulty or need of assistance before or during e-Auction process may contact authorized representative of our E-Auction Service Provider
https://baanknet.com. Details of which are available on the E-Auction portal. **13.** After finalization of E-Auction by the Authorized Officer, only successful bidder will be
informed by our above referred service provider through SMS / E-mail. (On Mobile No. / E-mail Address given by them / registered with the service provider). **14.** The
secured asset will not be sold below the reserve price. The Authorised Officer reserves the right to accept any or reject all bids, if not found acceptable or to postpone /
cancel / adjourn / discontinue or vary the terms of the auction at any time without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final. **15.** The sale
certificate shall be issued in favor of successful bidder on deposit of full bid amount as per the provisions of the act. **16.** It shall be the responsibility of the bidders to inspect
and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The bidder inspect the property in consultation with the dealing official as per the details
provided. All statutory dues / attendant charges / other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the purchaser. **18.** The
Authorized Officer of the Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to Government or anyone else in respect of properties (E-
Auctioned) not known to the bank. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including
statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc. **19.** The bidder should ensure proper internet connectivity, power back-up etc. The Bank shall not be liable
... / contingencies affecting the E-Auctions. **20.** The successful bidder has to bear the ... borrower and guarantor under Rule 9(1) Security ... lost the sale

Mukh Mantri Sehat Yojana provides 2.4 lakh cashless treatments worth ₹316cr

Times News Network

Chandigarh: A total of 2.45 lakh cashless treatments worth more than Rs 316.5 crore have been provided under the Bhagwant Mann govt's Mukh Mantri Sehat Yojana through its 10 most frequently availed procedures, an official said on Sunday.

Chronic haemodialysis accounted for the largest share, with 1.9 lakh dialysis sessions worth over Rs 30.6 crore.

The spokesperson said the coverage was particularly significant for patients with chronic kidney disease who often require treatment several times a week.

Laparoscopic gall bladder surgery was the second most availed procedure, with 17,698 cases, followed by 10,751 total knee replacement surgeries. The scheme also supported 9,317 Caesarean deliveries, the spokesperson said.

Cardiac care was another major component, with 8,734 patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) with diagnostic angiography and 554 receiving coronary artery bypass grafting (CABG).

The scheme also covered 5,770 percutaneous nephrolithotomy (PCNL) procedures for kidney stones, 2,247 lower ureter surgeries, 911 cementless total hip replacement surgeries and 830 radical surgical procedures.

Health and family welfare minister Balbir Singh said the real measure of a healthcare programme was whether patients received timely treatment without being pushed into financial distress.

"These figures represent thousands of families who received quality treatment without worrying about hospital bills," he said, adding that the scheme was helping ensure financial constraints did not hinder healthcare.

PSIC seeks vigilance probe into Ferozepur panchayat records

Vinod.Kumar3
@timesofindia.com

Chandigarh: The Punjab State Information Commission (PSIC) has recommended an independent vigilance examination of the handling and preservation of panchayat records in Ferozepur, observing that "misuse of govt funds" could not be ruled out and officials appeared to be "hand in glove" in delaying disclosure of records.

The commission, while disposing of a second appeal under the RTI Act, also recommended disciplinary action against the block development and panchayat officer (BDPO), panchayat secretary and concerned sarpanches for prima facie negligence and dereliction of duty.

The case arose from a June 2022 RTI application seeking records relating to 10 villages under the BDPO, Ferozepur. Despite repeated hearings over nearly four years, the appellant maintained that complete information had not been provided.

During hearings in 2023, the panchayat secretary repeatedly assured the commission that the information officer, remained absent on several occasions, prompting a show-cause notice. Continued non-appearance eventually led to bailable warrants against the BDPO-cum-PIO in May 2025 and Rs 5,000 compensation to the appellant.

The BDPO later offered inspection of the records, but the appellant said he was not facilitated to inspect them. The commission again issued bailable warrants following non-appearance at a subsequent hearing.

The commission noted that sarpanches of nine of the 10 villages had not handed over panchayat records to the authorities. The matter was referred by the SDM, Ferozepur, to police for action under the Punjab Panchayat Act, 1994, but no progress was available on record.

It also examined an affidavit from the panchayat secretary claiming records of six gram panchayats had been destroyed in floods. The commission found the explanation "unsatisfactory", noting that a DDR concerning the missing or damaged records was lodged only on Nov 30, 2023 — more than a year after ... villages, no satisfactory explanation was given for records of the remaining four. The commission also found that no audit or verification of missing records appeared to have been conducted.

The commission cited a March 2026 letter from the BDPO to the director, rural development and panchayats, stating that the panchayat secretary had neither submitted records of six gram panchayats for audit nor handed them over to the incumbent secretary. The BDPO had recommended disciplinary action against him.

Observing that the BDPO office and panchayat secretary appeared to be "hand in glove" and were misleading the Punjab State Information Commission, the department and the appellant, the commission said "misuse of govt funds" could not be ruled out as the secretary was allegedly evading audit while delaying disclosure under the RTI Act.

The commission said the BDPO was responsible for supervising panchayat records, the secretary for maintaining them and the sarpanch for their custody, making all three prima facie responsible ...

Khaira seeks extension in assembly session

Times News Network

Chandigarh: Congress MLA from Bholath Sukhpal Singh Khaira on Sunday urged govt and Vidhan Sabha Speaker to extend the ongoing assembly session by at least a few days to properly examine and debate six newly proposed bills.

According to the official legislative business, six bills, including those related to three digital universities, GST, contractual engagement and common infrastructure, were introduced in the closing stages of the session.

"How can six new laws with far-reaching implications for Punjab be properly scrutinised, debated and passed on the last working day?" Khaira questioned, calling the last-minute tabling "not meaningful parliamentary democracy".

He stressed that the assembly is not a "rubber stamp for the cabinet" and urged the govt to allow legislators to study the ...

बैंक आवेदक के वेतन
ते हैं, वो है लोन चुकाने
क मासिक किस्त और
 है तो उसे आमतौर पर
से उस व्यक्ति का क्रेडिट
र लोन आफर, ज्यादा
मिलने की संभावना
ली दूसरी संस्थाए ग्राहकों
काया राशि और डिफाल्ट
और सीआरआइएफ हाई
न रिकाइर्स का इस्तेमाल
लए किया जाता है जो
भी व्यक्ति सिबिल की
 दूसरे प्लेटफार्म के जरिये
 सकता है।

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुपात भी लोन को मंजूरी देने के लिए एक जरूरी पैमाना है। बैंक और वित्तीय संस्थान लोन के आवेदन की जांच करते समय आवेदक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर भी ध्यान देते हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुपात ज्यादा होने पर लोन मंजू र होने की संभावना कम हो जाती है। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुमाप आपके पास मौजूद कुल क्रेडिट के मुकाबले देखा जाता है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल का अनुपात कम बनाए रखने से न सिर्फ क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है, बल्कि यह जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार का भी संकेत देता है। इससे व्यक्तिगत लोन और नए क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी योग्यता बढ़ती है। साथ ही बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर पर लोन पाने में भी मदद मिलती है।

एफपीआइ ने पहले सप्ताह में 12,921 करोड़ के शेयर खरीदे

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने भारतीय शेयरों में अपनी खरीदारी जारी रखी है और अगस्त के पहले सप्ताह में 12,921 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह बेहतर व्यापक आर्थिक स्थितियों, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और स्थिर रुपये के कारण संभव हुआ है। जुलाई 2026 में एफपीआइ ने 20,200 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था, जो चार महीनों की भारी बिक्री के बाद एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि, हालिया खरीदारी के बावजूद विदेशी निवेशक कैलेंडर वर्ष 2026 में भारतीय शेयरों में शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं और अब तक 2.41 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। यह 2025 में की 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी से अधिक है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया प्रवाह निवेशक भावना में सुधार को दर्शाता है।

यूको बैंक — सम्मान आपके विश्वास का
UCO BANK — Honours your trust

ई-नीलामी बिक्री सूचना

यूको बैंक आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ - एससीओ 55-56-57, बैंक स्क्वेयर, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017,
दूरभाष: 0172-5037339, 5037340, ई-मेल: zochng.rec@ucobank.bank.in

ई-नीलामी बिक्री की बिक्री सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित अधिनियम (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सरफेसी) के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण व प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणियों एवं गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को मोर्टगेज्ड/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का **यूको बैंक** (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी **''जैसे है जहां है''** ''जो है जैसी है'' तथा '' जहां पर है जैसी भी है'' पर बिक्री की जाएगी तथा निम्न वर्णित अचल संपत्तियों की खरीद हेतु इच्छुक क्रेताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	शाखा एवं ऋणी/गारंटर का नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि/कब्जे की स्थिति (भौतिक अथवा प्रतीकात्मक)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	संबंधित अधिकारी का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**सेक्टर 44, चंडीगढ़ शाखा** ऋणी:-मेसर्स पॉपुलर मेडिकेयर, पता:-भवन सं. 602, प्रथम तल, केशो राम कॉपलेक्स, गली सं. 6, सेक्टर 45, बुड़ैल चंडीगढ़। गारंटर:-(1) **श्री राहुल सहगल**, पता:- मकान स. एचएम-558, फेज-7, सेक्टर 62, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब-160062, (2) **श्रीमती निधि सहगल**, पता:-मकान सं. एचएम-558, फेज-7, सेक्टर 62, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब-160062, (3) **श्रीमती चांद कश्यप**, पता:-पत्नी रमेश कश्यप, सेठियां वाली गली, जीटी रोड, ब्यास, बाबा बकाला, अमृतसर, पंजाब-143201	गांव बुढ़े ठेह, तहसील ब्यास, बाबा बकाला, जिला अमृतसर, पंजाब में स्थित अचल रिहायशी संपत्ति बियरिंग संपत्ति मकान सं. 70, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ लगती गली, भूमि माप 5 मरला 3 सरसाई, खसरा सं. 113=4 कनाल 7 मरला इसका 48/783 हिस्से के सभी भाग एवं पार्सल: (ए) शीर्षक बिलेख सं. 1411 दिनांक 30.07.2004 (बी) चांद रानी पत्नी रमेश कुमार के नाम में मोर्टगेज संपत्ति के स्वामी का नाम, (सी) **संपत्ति की चौहद्दी, जैसे कि:** बुटेड एवं चौहद्दी:-**पूर्व** गली 4'6'' चौड़ी और सुश्री सिम्मी की रिहायश, **पश्चिम:** श्री बबलू की रिहायश, **उत्तर:** रेलवे लाईन, **दक्षिण:** आशु जनल स्टोर वाले की रिहायश।	06.06.2026/प्रतीकात्मक	05.12.2025/ रु. 63,82,626.16 *एनपीए के पश्चात भुगतान को कम करके	Rs. 35,00,000/- Rs. 3,50,000/- Rs. 20,000/-	सुश्री नेहा रानी मो. 9147403154 ई-मेल: ambcha@uco.bank.in	11.09.2026 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

नियम एवं शर्तें:- (1) बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों का विषय होगी। 2. संपत्तियां **''जैसा है जहां है''** एवं **''जो है जैसा है''** तथा **''जहां पर है जैसी है'' के आधार पर''** बेची जाएंगी। 3. उक्त अनुसूची में वर्णित सिक्योर्ड परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण जानकारी से है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत जानकारी व विलोपन के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 4. नीलामी बिक्री पोर्टल https://baanknet.com पर **''ई-नीलामी के माध्यम ऑनलाईन''** होगी। 5. इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को अपना मोबाईल नंबर व ई-मेल आईडी उपयोग करते हुए पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकृत होने का निवेदन किया जाता है। आगे, उन्हे केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का निवेदन किया जाता है। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा एक बार केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा (इसमें 2 कार्यदिवस लग सकते हैं), **इच्छुक बोलीदाता/क्रेता पोर्टल में ई-नीलामी की तिथि व समय से पूर्व अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन विधि उपयोग करते हुए ईएमडी हस्तांतरित करेंगे। पंजीकरण, केवाईसी** दस्तावेजों का सत्यापन तथा वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में किया जाना है। 6. ई-नीलामी के लिए प्लेटफार्म https://baanknet.com ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा, **हेल्पडेस्क सं. +91-8291220220, हेल्पडेस्क ई-मेल आईडी:** support.baanknet@psballiance.com इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना वांछित है। 7. संपत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु **प्राधिकृत अधिकारी श्री नितिन अत्री, मो. 9717477126 से संपर्क करें।** 8. बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तों वाली बिक्री सूचना https://baanknet.com वेबसाइट/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। 9. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी https://baanknet.com पोर्टल से बिक्री सूचना, ई-नीलामी की नियम एवं शर्तें और ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता मैनुअल की प्रतियां निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 10. बोली लगाते समय बोलीदाता के ग्लोबल वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (ईएमडी राशि के बराबर या उससे अधिक) होनी चाहिए। 11. ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली से अधिक बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। बोलीदाताओं को क्रमिक रूप से उच्च बोली लगाने के लिए दस (10) मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट समाप्त होने के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं लगाई जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी। 12. इच्छुक बोलीदाता की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें; ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता होने पर, हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता https://baanknet.com के प्राधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क करें। जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। 13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा,प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा (उनके द्वारा दिए गए/सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर)। 14. आरक्षित संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वे स्वीकार्य न पाई जाएं, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या उसकी शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 15. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 16. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी से परामर्श करके संपत्ति का निरीक्षण करें। पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय संबंधित शुल्क अन्य देय राशियों का वहन क्रेता [illegible] बैंक का प्राधिकृत अधिकारी बैंक को अज्ञात संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को देय किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या अन्य देय राशि के लिए [illegible]

ए बैंक आवेदक के वेतन खते है, वो है लोन चुकाने त्येक मासिक किस्त और या है तो उसे आमतौर पर इससे उस व्यक्ति का क्रेडिट हतर लोन आफर, ज्यादा न मिलने की संभावना वाली दूसरी संस्थाएं ग्राहकों बकाया राशि और डिफाल्ट स और सीआरआइएफ हाई । इन रिकाइर्स का इस्तेमाल के लिए किया जाता है जो कोई भी व्यक्ति सिबिल की ही दूसरे प्लेटफार्म के जरिये जांच सकता है।

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुपात भी लोन को मंजूरी देने के लिए एक जरूरी पैमाना है। बैंक और वित्तीय संस्थान लोन के आवेदन की जांच करते समय आवेदक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर भी ध्यान देते हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुपात ज्यादा होने पर लोन मंजूर होने की संभावना कम हो जाती है। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का अनुमान आपके पास मौजूद कुल क्रेडिट के मुकाबले देखा जाता है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल का अनुपात कम बनाए रखने से न सिर्फ क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है, बल्कि यह जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार का भी संकेत देता है। इससे व्यक्तिगत लोन और नए क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी योग्यता बढ़ती है। साथ ही बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर पर लोन पाने में भी मदद मिलती है।

एफपीआइ ने पहले सप्ताह मे 12,921 करोड़ के शेयर खरीदे

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने भारतीय शेयरों में अपनी खरीदारी जारी रखी है और अगस्त के पहले सप्ताह में 12,921 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह बेहतर व्यापक आर्थिक स्थितियों, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और स्थिर रुपये के कारण संभव हुआ है। जुलाई 2026 में एफपीआइ ने 20,200 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था, जो चार महीनों की भारी बिक्री के बाद एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि, हालिया खरीदारी के बावजूद विदेशी निवेशक कैलेंडर वर्ष 2026 में भारतीय शेयरों में शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं और अब तक 2.41 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। यह 2025 में की 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी से अधिक है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया प्रवाह निवेशक भावना में सुधार को दर्शाता है।

यूको बैंक UCO BANK

सम्मान आपके विश्वास का

Honours your trust

ई-नीलामी बिक्री सूचना

यूको बैंक आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ - एससीओ 55-56-57, बैंक स्क्वेयर, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017, दूरभाष: 0172-5037339, 5037340, ई-मेल: zochng.rec@ucobank.bank.in

ई-नीलामी बिक्री की बिक्री सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित अधिनियम (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सरफेसी) के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण व प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणियों एवं गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को मोर्टगेज्ड/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का **यूको बैंक** (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसको **"जैसे है जहां है" "जो है जैसी है"** तथा **" जहां पर है जैसी भी है"** पर बिक्री की जाएगी तथा निम्न वर्णित अचल संपत्तियों की खरीद हेतु इच्छुक क्रेताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	शाखा एवं ऋणी/गारंटर का नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि/कब्जे की स्थिति (भौतिक अथवा प्रतीकात्मक)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	संबंधित अधिकारी का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**सेक्टर 44, चंडीगढ़ शाखा** ऋणी:-मेसर्स पॉपुलर मेडिकेयर, पता:-भवन सं. 602, प्रथम तल, केशो राम कॉम्पलेक्स, गली सं. 6, सेक्टर 45, बुड़ैल चंडीगढ़। **गारंटर:-(1) श्री राहुल सहगल, पता:-** मकान सं. एचएम-558, फेज-7, सेक्टर 62, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब-160062, (2) **श्रीमती निधि सहगल, पता:**-मकान सं. एचएम-558, फेज-7, सेक्टर 62, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब-160062, (3) **श्रीमती चांद कश्यप, पता:**-पत्नी रमेश कश्यप, सेठियां वाली गली, जीटी रोड, ब्यास, बाबा बकाला, अमृतसर, पंजाब-143201	गांव बुढ़े ठेह, तहसील ब्यास, बाबा बकाला, जिला अमृतसर, पंजाब में स्थित अचल रिहायशी संपत्ति बियरिंग संपत्ति मकान सं. 70, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ लगती गली, भूमि माप 5 मरला 3 सरसाई, खसरा सं. 113=4 कनाल 7 मरला इसका 48/783 हिस्से के सभी भाग एवं पार्सल: (ए) शीर्षक विलेख सं. 1411 दिनांक 30.07.2004 (बी) चांद रानी पत्नी रमेश कुमार के नाम में मोर्टगेज संपत्ति के स्वामी का नाम, **(सी) संपत्ति की चौहद्दी, जैसे कि:** बुटेड एवं चौहद्दी:-**पूर्व** गली 4'6" चौड़ी और सुश्री सिम्मी की रिहायश, **पश्चिम:** श्री बबलू की रिहायश, **उत्तर:** रेलवे लाईन, **दक्षिण:** आशु जनल स्टोर वाले की रिहायश।	06.06.2026/प्रतीकात्मक	05.12.2025/ रु. 63,82,626.16 *एनपीए के पश्चात भुगतान को कम करके	Rs. 35,00,000/- / Rs. 3,50,000/- / Rs. 20,000/-	सुश्री नेहा रानी मो. 9147403154 ई-मेल: ambcha@uco.bank.in	11.09.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

नियम एवं शर्तें:- (1) बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों का विषय होगी। 2. संपत्तियां **"जैसा है जहां है"** एवं **"जो है जैसा है"** तथा **"जहां पर है जैसी है" के आधार पर"** बेची जाएंगी। 3. उक्त अनुसूची में वर्णित सिक्योर्ड परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण जानकारी से है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत जानकारी व विलोपन के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 4. नीलामी बिक्री पोर्टल https://baanknet.com पर **"ई-नीलामी के माध्यम ऑनलाईन"** होगी। 5. इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को अपना मोबाईल नंबर व ई-मेल आईडी उपयोग करते हुए पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकृत होने का निवेदन किया जाता है। आगे, उन्हे केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का निवेदन किया जाता है। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा एक बार केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा (इसमें 2 कार्यदिवस लग सकते हैं), **इच्छुक बोलीदाता/क्रेता पोर्टल में ई-नीलामी की तिथि व समय से पूर्व अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन विधि उपयोग करते हुए ईएमडी हस्तांतरित करेंगे। पंजीकरण, केवाईसी** दस्तावेजों का सत्यापन तथा वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में किया जाना है। 6. ई-नीलामी के लिए प्लेटफार्म https://baanknet.com ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा, **हेल्पडेस्क सं. +91-8291220220, हेल्पडेक्स ई-मेल आईडी:** support.baanknet@psballiance.com इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना वांछित है। 7. संपत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु **प्राधिकृत अधिकारी श्री नितिन अत्री, मो. 9717477126** से संपर्क करें। **8. बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तों वाली बिक्री सूचना** https://baanknet.com वेबसाइट/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। 9. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी https://baanknet.com **पोर्टल से बिक्री सूचना, ई-नीलामी की नियम एवं** शर्तें और ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता मैनुअल की प्रतियां निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 10. **बोली लगाते समय बोलीदाता के ग्लोबल वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (ईएमडी राशि के बराबर या उससे अधिक)** होनी चाहिए। 11. ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली से अधिक बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। बोलीदाताओं को क्रमिक रूप से उच्च बोली लगाने के लिए दस (10) मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट समाप्त होने के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं लगाई जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी। 12. इच्छुक बोलीदाता की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें; ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता होने पर, हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता https://baanknet.com के प्राधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क करें। जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। 13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा (उनके द्वारा दिए गए/सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर)। 14. आरक्षित संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वे स्वीकार्य न पाई जाएं, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या उसकी शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 15. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 16. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी से परामर्श करके संपत्ति का निरीक्षण करें। पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियों का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा। बैंक का [illegible]